संख्या-43/2016/1621/38-4-16-16(बजट)/2015

प्रेषक,

श्रीश चन्द्र वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0 नवीन एवं नवींकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूती खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर,2016**

विषय:- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 के लक्ष्यों के सापेक्ष निर्मित आवासों में सोलर पावर पैक (एल0ई0डी0 लाईटस तथा डी0सी0 सीलिंग फैन आदि) की स्थापना हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अपने पत्र संख्या-6347/यू0पी0नेडा-लो.आ.पावर पैक-टेण्डर-1/2016-17 दिनांक 10.11.2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लक्ष्यों के सापेक्ष निर्मित आवासों में सोलर पावर पैक (एल0ई0डी0 लाईटस तथा डी0सी0 सीलिंग फैन आदि) की स्थापना हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत धनराशि रू0 24,31,74,400.00 (कुल धनराशि का 70 प्रतिशत) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि में से लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 के अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए (अनुदान संख्या-83) निर्धारित लक्ष्यों-13570 के सापेक्ष निर्मित आवासों में सोलर पावर पैक (एल0ई0डी0 लाईटस तथा डी0सी0 सीलिंग फैन आदि) की स्थापना हेतु धनराशि **रू0 24,31,74,400.00 (रूपये चौबीस करोड़ इकतीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का बजट आवंटन आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(3) आहरित धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-20-02-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 के प्राविधानों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) क्रय किए जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व क्रेता विभाग का होगा।

(5) यूपी नेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

(6) उक्त आहरित की जा रही धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च,2017 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(7) उक्त आहरित धनराशि को किसी अन्य मद/योजना में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य समक्ष प्राधिकारी की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात् ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि समय से प्रत्येक दशा में उपयोगित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) सोलर पावर पैक की स्थापना हेतु अवमुक्त उक्त धनराशि को पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

(9) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(10)इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(11)वित्त नियंत्रक भुगतान से पूर्व बिल में अंकित धनराशि के सही होने की पुष्टि अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(12)स्वीकृत धनराशि का बिल उ0 प्र0 नवीन एवं नवींकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा तथा शासन के प्रतिहस्ताक्षर से ससमय कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना से शासन तथा महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद को भी सूचित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-लोहिया ग्रामीण आवास योजना-24-वृहद निर्माण कार्य" नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक-22 मार्च,2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(श्रीश चन्द्र वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-43/2016/1621(1)/38-4-2016, तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
5- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश ।
9- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
13- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
14- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
15- वैभागिक आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,
(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in